न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया, जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 06/2012
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2012/00011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. राजेन्द्रसिंह, प्रबन्धक, मै0 शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर। 2. जब्बार पुत्र श्री अलाबक्ष निवासी वार्ड नम्बर 26 नागौर सैल्समैन मै0 शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री शिवचन्द पारीक।

निर्णय **दिनांक–** 15-11-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को सम्पहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रसद मामला संख्या–09/2010 बअनुवान राज.सरकार बनाम श्री राजेन्द्रसिंह वगैरह दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 03.08.2010 को निर्णय पारित कर जब्तशुदा 23 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक खाली गैस सिलेण्डर को प्रकरण में सुनवाई कर सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया गया एवं उक्त जब्त सुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर प्राप्त राशि को चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी,नागौर को दिये गये व निस्तारण की प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की गई। अप्रार्थी द्वारा घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग किये जाने से व भण्डारण करने से उक्त भारत गैस कम्पनी के घरेलू रसाई,गैस सिलेण्डर की कीमत के बराबर जुर्माना राशि अप्रार्थी से वसूल किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये गये। उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डर की कीमत का निर्धारण जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा किया जाकर व एक माह की अवधि में उक्त निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने पर, अप्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देशित किया गया तथा इस संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर को मै, शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस ऐजेंसी, नागौर की विस्तृत रूप से जांच कर निर्धारित नियमों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये। न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 03.08.2010 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सेशन न्यायाधीश मेड़ता के न्यायालय में फौजदारी अपील संख्या 55/2010 अपीलार्थी 1–राजेन्द्रसिंह, 2–जब्बार बनाम राज0 राज्य दायर हुई। उक्त अपील में माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.09.2011 से अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2010 को अपास्त कर मामला न्यायालय हाजा को विधि अनुसार पुनः सुनवाई कर कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया एवं पक्षकारान अर्थात हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थीगण को दिनांक 20.10.11 को न्यायालय हाजा में 10 ए.एम. पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2011 की अनुपालना में रिमाण्ड रसद मामला संख्या–06/2012 बअनुवान सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरह पुनः दर्ज किया गया। न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 13.03.12 के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थी उपस्थित

कलक्टर, नागौर

हुए। प्रार्थी के साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया। आदेशिका दिनांक 29.08.12 के अनुसार वकील अप्रार्थी की ओर से वकील श्री पारीक द्वारा मामले में पूर्व प्रस्तुत जबाब को ही जबाब माने जाने का अनुरोध किया। आदेशिका दिनांक 18.09.12 के अनुसार ई.ओ.(प्रवर्तन अधिकारी) द्वारा साक्ष्य का अवसर चाहा गया, जो दिया गया। प्रकरण में साक्ष्य प्रार्थी में श्री भेराराम डिडेल जिला रसद अधिकारी बाड़मेर, श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय नागौर, श्री विनयकुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय, श्री आनन्द अग्रवाल मैनेजर नागौर गैस सर्विस नागौर, के सशपथ किये गये कथनों के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये। तत्श्चात आदेशिका दिनांक 04.04.19 के अनुसार प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी बकाया साक्ष्य एवं जिरह हेतु गवाहन पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य प्रार्थी बंद की गई। आदेशिका दिनांक 12.03.20 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री शिवचन्द पारीक ने साक्ष्य अप्रार्थी में अप्रार्थी संख्या–1 राजेन्द्रसिंह के सशपथ किये गये कथनों के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 17.12.20 को अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं साक्ष्य अप्रार्थी भी बंद की जाकर प्रकरण बहस अंतिम हेतु नियत किया गया है।

2. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रर्वतन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 19.12.09 को श्री भेराराम डिडेल, जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री दौलाराम प्रवर्तन अधिकारी, परबतसर, श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी, डीडवाना, श्री कवंराराम प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर, श्री विनयकुमार शर्मा द्वारा मै. शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मे आया कि गैस एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा वितरण केन्द्रों पर गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की जा रही है। अतः श्री भैराराम डिडेल जिला रसद अधिकारी एवं श्री दौलाराम प्रवर्तन अधिकारी, परबतसर द्वारा मैसर्स शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के वितरण स्थल बड़ली के पास गहलोत किराणा स्टोर एवं सालासर फ्लोर मिल बड़ली के सामने स्थित खुली जगह पर सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री जब्बार पुत्र श्री अलाबक्ष के समक्ष किया गया।

2(1)–वक्त जांच मौके पर कुल 23 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत पेट्रोलियम कम्पनी के भरे हुए एवं एक खाली पाया गया। मौके पर फर्म प्रतिनिधि श्री जब्बार पुत्र अलावक्ष के पास बिल/ बाउचर नहीं पाये गये। फर्म प्रतिनिधि से इस बारे में पूछताछ की गई तो इस बारे मे सही जवाब नहीं दिया।

2(2)–वक्त जांच मै. शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के वितरण स्थल बड़ली के पास गहलोत किराणा स्टोर एवं सालासर फलोर मिल बड़ली के सामने स्थित खुली जगह पर अवैध रूप से रखे हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	गैस भराव क्षमता	सीरियल नम्बर	गैस वजन
1	भारत गैस	14.2 KG	521771	14.2 KG
2	भारत गैस	14.2 KG	902273	14.2 KG
3	भारत गैस	14.2 KG	869253	14.2 KG
4	भारत गैस	14.2 KG	170444	14.2 KG
5	भारत गैस	14.2 KG	859521	14.2 KG
6	भारत गैस	14.2 KG	32246	14.2 KG
7	भारत गैस	14.2 KG	24692	14.2 KG
8	भारत गैस	14.2 KG	901674	14.2 KG
9	भारत गैस	14.2 KG	483326	14.2 KG
10	भारत गैस	14.2 KG	214010	14.2 KG

कलक्टर, नागौर

11	भारत गैस	14.2 KG	220133	14.2 KG
12	भारत गैस	14.2 KG	4483	14.2 KG
13	भारत गैस	14.2 KG	106139	14.2 KG
14	भारत गैस	14.2 KG	306916	14.2 KG
15	भारत गैस	14.2 KG	103824	14.2 KG
16	भारत गैस	14.2 KG	115444	14.2 KG
17	भारत गैस	14.2 KG	121746	14.2 KG
18	भारत गैस	14.2 KG	485338	14.2 KG
19	भारत गैस	14.2 KG	269736	14.2 KG
20	भारत गैस	14.2 KG	869702	14.2 KG
21	भारत गैस	14.2 KG	122410	14.2 KG
22	भारत गैस	14.2 KG	898681	14.2 KG
23	भारत गैस	14.2 KG	206575	14.2 KG
24	भारत गैस	14.2 KG	272655	NIL

2(3)– प्रकरण में प्रार्थी की ओर से गवाहान श्री भैराराम डिडेल जिला रसद अधिकारी, श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनय कुमार जिला रसद अधिकारी, श्री आनन्द अग्रवाल मैनेजर नागौर गैस सर्विस नागौर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। इन सभी गवाहान द्वारा शपथ पत्र में किये गये कथनों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही की पुष्टि होती है। इसलिए भी प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किया जाना उचित है।

2(4)–इस प्रकार मैसर्स शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के प्रतिनिधि द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण दुरूपयोग करने की नियत से करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के खण्ड 3(1) (a) (b) (c), खण्ड 4(1) (a) (b) (c) (e) खण्ड, 6, खण्ड 7 (1)(a) (b) (c) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के पैरा नं. 3 मे अंकित 24 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. नागौर गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री आन्नद अग्रवाल की सुपुर्दगी मे दिये है। उक्त सीज सुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. मे समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु वकील श्री शिवचन्द पारीक द्वारा अण्डरटेंकिग ली गई, परन्तु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील श्री शिवचन्द पारीक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 17.12.20 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 21.07.2010 को जबाब प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया गया है कि मुकदमा हाजा कतई गलत व झूठा बनाया गया है। अप्रार्थी गैस एजेन्सी द्वारा लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेगयूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन) ऑर्डर 2000 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी गैस एजेन्सी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। दिनांक 19.12.2009 को जबार को डीलवरी हेतु सुबह 50 सिलेण्डर मय बिल के इश्यू किये गये थे। जबार ने टक्सी से सर्वप्रथम 26 सिलेण्डर लौहारपुरा में वितरित किये व उसके पश्चात वह 24 सिलेण्डर लेकर बड़ली में सालासर फ्लोर मिल के सामने पहुंचा जहां पर टैक्सी में खराबी आ जाने के कारण टैक्सी ड्राईवर ने सिलेण्डर चौक में उतारकर टैक्सी ठीक करवाने हेतु वर्कशोप ले गया व जबार को सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने हेतु वहां छोड़ दिया। जबार ने अपनी मदद के लिए एजेन्सी के दुसरे सप्लाई मैन इमरान को साईकिल से सप्लाई देने हेतु वहां बुला लिया तथा

कलक्टर, नागौर

इमरान साईकिल से एक सिलेण्डर की सप्लाई देकर वापस आया तब तक जिला रसद अधिकारी वहां आ गये जिन्होंने सिलेण्डरो के बाबत पूछताछ की तो उन्हें जबार की ओर से यह बतलाया गया कि टैक्सी खराब हो जाने से 24 सिलेण्डर यहां उतारे गए है जिनमें से एक की सप्लाई दी गई है व 23 सप्लाई और दिया जाना शेष है व इन सिलेण्डरो से सम्बन्धित बिल भी जबार ने जिला रसद अधिकारी को बताए जिन्होने बिलो को नजर अन्दाज करते हुए सिलेण्डरो को जब्त कर लिया।

3(1)—दिनांक 19.12.2009 को जबार को कुल 50 भरे हुए सिलेण्डर दिए गए थे व 73 उपभोक्ताओ के बिल (रिफिल बाऊचर) दिए गए थे जिनका विवरण संलग्न अनुसूची 1 में दर्ज है।

3(2)—जिला रसद अधिकारी ने जानबुझकर जबार के पास के बिलो को नजरअन्दाज करते हुए यह झूठा मुकदमा बनाया है। सभी सिलेण्डर वैध रूप से जबार व इमरान द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे थे। कोई कालाबाजारी नहीं की जा रही थी तथा न ही सिलेण्डर अवैध थे। जिला रसद अधिकारी ने जानबुझकर इरादतन गलत कार्यवाही की है। जब्त सुदा सभी सिलेण्डर भारत गैस एजेन्सी के है जिनका विवरण एजेन्सी के रजिस्टरो में दर्ज है।

3(3)—जिला रसद अधिकारी ने महज कयास के आधार पर सिलेण्डरो की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण जिला रसद अधिकारी द्वारा पेश नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण गैस सिलेण्डरो की कालाबाजारी कर रहे थे। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी जब्ती गलत है तथा इन सिलेण्डरो की वास्तविक मिल्कियत अप्रार्थी शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी नागौर की है जिन्हें यह सिलेण्डर लौटाया जाना न्याय संगत होने का जबाब पेश कर सीजसुदा 24 सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 को लौटाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3(4)—वकील श्री शिवचन्द पारीक ने अप्रार्थी संख्या–1 श्री राजेन्द्रसिंह की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की। वकील श्री शिवचन्द पारीक ने लिखित बहस में कथन किया कि दिनांक 19.12.2009 को श्री भैराराम डिडेल रसद अधिकारी नागौर द्वारा शहीद सुरेन्द्रसिंह गैस एजेन्सी नागौर का आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गैस एजेन्सी के कर्मचारियो द्वारा वितरण केन्द्रो पर गैस सिलेण्डरो की काला बाजारी की जा रही हैं, जिस पर दल द्वारा उक्त एजेन्सी के वितरण स्थल बडली के पास गहलोत किराणा स्टोर को सालासर फ्लोर मील बडली के सामने स्थित खुली जगहो पर सिलेण्डरो का भौतिक सत्यापन किया तो वक्त जांच मौके पर 23 गैस सिलेण्डर भारत पेट्रोलियम के भरे हुए व एक खाली पाया गया। मौके पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा वाउचर इत्यादि पेश नही किये गये व सही जवाब नही दिया गया वगैराह वगैराह तथा इसके पश्चात दिनांक 23.12.2009 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की वस्तुस्थिति के संबंध में अपना यथोचित जवाब प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.08.2010 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित कर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो को कन्फिसकेटेड करने का आदेश पारित किया। माननीय न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय मेडता के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो अपील माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, मेडता द्वारा स्वीकार की गई व प्रकरण को पुनःसुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2011 में अप्रार्थीगण की अपील को स्वीकार करते हुए इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की कि मामले की विधि अनुसार पुनः सुनवाई कर कार्यवाही की जावे। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के पश्चात प्रकरण पुनः नम्बर पर माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी पक्ष की ओर से गवाहान के शपथ पत्र बतौर मुख्य परीक्षा प्रस्तुत हुए, जिस पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के जरिये प्रार्थी पक्ष के गवाहान से कोस एग्जामिनेशन करने की अनुमति चाही, परन्तु प्रार्थी पक्ष के कोई भी गवाह प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नही हुए। प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के

कलक्टर, नागौर

पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से भी साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और पश्चात अप्रार्थी साक्ष्य हेतु (कोस एग्जामिनेशन) के लिए उपस्थित भी रहा । परन्तु प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी गवाह द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रति परीक्षा नही की गई थी। जिससे अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रही है। जिसे नही मानने का कोई भी कारण पत्रावली पर नही है।

3(5)—प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जो इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है, उसमे लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन) आर्डर 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) (बी) (सी). खण्ड 4 (1) (ए) (बी) (सी) (ई).खण्ड 6,खण्ड 7 (1) (ए) (बी) (सी) की स्पष्ट अवहेलना करने का आरोप लगाया हैं, जबकि लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन) आर्डर 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) (बी) (सी). खण्ड 4 (1) (ए) (बी) (सी) (ई).खण्ड 6, खण्ड 7 (1) (ए) (बी) (सी) के किसी भी प्रावधान में जो आरोप प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर आरोपित किये हैं, उनका कहीं भी विवेचन नही किया गया है। क्लोज 3 अनाधिकृत पजेशन और कंजप्शन के संबंध में है, खण्ड 4 ट्रांसफर ऑफ पेट्रो गैस, ट्रांसपोर्ट और स्टोर, स्टोरेज, यूज के संबंध में हैं, खण्ड 6 अनाधिकृत व्यापार और विक्रय के संबंध में है तथा क्लोज 7 आधिपत्य, सप्लाई, सेल जो लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस इक्विपमेन्ट के संबंध में हैं, जिनमें से किसी भी प्रकार का कोई आरोप न तो जांच रिपोर्ट में हैं व न ही इस्तगासे में वर्णित किया गया है। अप्रार्थीगण शहीद सुरेन्द्रसिंह गैस एजेन्सी के प्रबन्धकगण हैं और अधिकृत डीलर भी है और दौराने जांच गैस एजेन्सी के कार्मिको द्वारा विधि अनुसार व नियमानुसार गैस सिलेण्डरो की डिलीवरी दी जा रही थी, जिसके रिफिल वाउचर दौराने जांच रसद अधिकारी महोदय को उपलब्ध करवाये गये थे, परन्तु श्रीमान रसद अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई थी, जो अप्रार्थीगण के विरूद्ध काबिल खारिज है।

3(6)—फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फर्द मौका रिपोर्ट में भी रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप काला बाजारी के संबंध में नहीं लगाया गया हैं, न ही कोई साक्ष्य एकत्रित की गई हैं, अपितु केवल मात्र कालाबाजारी के संदेह के कारण मौके पर पाये गये सिलेण्डरो को जब्त करना बताया गया हैं, जो विधि संगत नही हैं और इसी कारण से अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई हस्तगत कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है।

3(7)—माननीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.10.2011 में यह अवधारित किया है कि कालाबाजारी की गई हो, ऐसी भी पुष्ट साक्ष्य नही है तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी गवाह के बयान प्रार्थी पक्ष द्वारा नही करवाये गये और न ही अप्रार्थी को जिरह का अवसर दिया गया है। इस आधार पर माननीय अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया था, परन्तु प्रकरण को रिमाण्ड करने के पश्चात भी सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रार्थी पक्ष द्वारा किसी भी गवाह को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित नही रखा गया, जबकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रतिपरीक्षा करने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, इसलिए भी प्रार्थी पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से गैस सिलेण्डरो की कोई काला बाजारी की हो।

3(8)—अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में व अपनी साक्ष्यके समर्थन में दस्तावेज अनुसूची 1 के रूप में प्रस्तुत किये थे,जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित था कि दिनांक 19.12.2009 को अप्रार्थी गैस एजेन्सी द्वारा जब्बार को डिलीवरी हेतु 50 सिलेण्डर मय बिल के इश्यू किये गये थे तथा जब्बार ने टैक्सी से सर्वप्रथम 26 सिलेण्डर लोहारपुरा में वितरित किये और उसके पश्चात 24 सिलेण्डर लेकर बडली में सालासर फ्लोर मील के सामने पहुंचा, जहां पर टैक्सी में खराबी आ जाने के कारण टैक्सी ड्राईवर ने सिलेण्डर चौक में उतार कर टैक्सी ठीक करवाने हेतु वर्कशॉप ले गया और जब्बार को सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने हेतु वहां छोड़ दिया तथा जब्बार ने अपनी मदद के लिए दूसरे सप्लाई मैन इमरान को साईकिल से सप्लाई देने हेतु बुलाया तथा इमरान साईकिल से एक सिलेण्डर की सप्लाई देकर वहां आया, तब जिला रसद अधिकारी वहां आ गये, जिन्होने सिलेण्डरो के बाबत पूछताछ की तो जब्बार द्वारा उन्हें यह बता दिया गया था कि टैक्सी में

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

खराबी आने के कारण सिलेण्डर यहां उतार दिये गये हैं, जिसमे से की सप्लाई दी गई हैं व 23 की सप्लाई ओर दिया जाना शेष हैं व इन सिलेण्डरो से संबंधित बिल भी जब्बार ने जिला रसद अधिकारी को मौके पर बता दिये थे, जिन बिलो को नजर अंदाज करते हुए जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत रूप से सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के खण्डन के संबंध में प्रार्थी पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी। जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है इसलिए भी अप्रार्थी के विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

3(9)—श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा इस्तगास में यह वर्णित किया गया है कि उनके द्वारा शहीद सुरेन्द्रसिंह गैस एजेन्सी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, परन्तु उक्त आकस्मिक निरीक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है। जिससे भी प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रतिकूल उपधारणा उपधारित की जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

3(10)—श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा शहीद सुरेन्द्रसिह गैस एजेन्सी के किसी भी उपभोक्ता से कोई पूछताछ नही की गई, न ही किसी उपभोक्ता ने कभी जिला रसद अधिकारी कार्यालय में अप्रार्थी गैस एजेन्सी के विरूद्ध कोई शिकायत प्रस्तुत की हो, ऐसा अभिकथन ही किया है। केवल मात्र गलत कार्यवाही करते हुए संदेह के आधार पर जब्ती की कार्यवाही की गई हैं, जो पूर्णतः गलत, विधि विरूद्ध व मनमानी है।

3(11)—श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किये गय 24 घरेलू गैस सिलेण्डरो की मिलकियत अप्रार्थी गैस एजेन्सी शहीद सुरेन्द्रसिंह गैस एजेन्सी की हैं, जिन्हे पुनः गैस एजेन्सी को लौटाया जाना उचित एवं न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील श्री शिवचन्द पारीक ने अप्रार्थीगणके विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही निरस्त करने एवं जब्तसुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डर शहीद सुरेन्द्रसिंह गैस एजेन्सी नागौर को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रिबटल में कथन किया कि अप्रार्थीगण का कथन कि टैक्सी में खराबी आ जाने के कारण टैक्सी ड्राईवर ने सिलेण्डर चौक में उतारकर टैक्सी ठीक करवाने हेतु वर्कशोप ले गया व जबार को सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने हतु यहां छोड़ दिया, परन्तु उक्त टेक्सी उस दिन खराब होने एवं उसे ठीक करवाने के संबंध में कोई वाउचर, गवाह का शपथ पत्र आदि पेश नहीं किया है, इसलिए अप्रार्थीगण का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अप्रार्थीगण ने उक्त कथन बाद में सोच–विचार कर अपने बचाव में झूठा कथन किया है। अप्रार्थीगण का कथन कि दिनांक 19.12.2009 को जबार को कुल 50 भरे हुए सिलेण्डर दिए गए थे, जिसमें से जबार ने टक्सी से सर्वप्रथम 26 सिलेण्डर लोहारपुरा में वितरित किये तथा 73 उपभोक्ताओ के बिल (रिफिल बाऊचर) दिए गए थे जिनका विवरण संलग्न अनुसूची 1 में दर्ज है। उक्त संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सूची दस्तावेज में वर्णित अनेक्चर–1 जिसे डिलीवरी बिल का विवरण बताया गया है, उसमें किसी भी उपभोक्ता का नाम व पता, उपभोक्ता कमांक राशि आदि दर्ज नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा 50 भरे हुए सिलेण्डरों के उपभोक्ताओं के बिल अथवा जबार द्वारा टेक्सी से सर्वप्रथम 26 सिलेण्डर लोहारपुरा में उपभोक्ताओं को वितरित किये के संबंध में उपभोक्ताओं के बिल दौराने जॉच अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ही उपभोक्ताओं के ऐसे बिल पेश किये है। इसलिए अप्रार्थीगण का उक्त कथन कि 19.12.2009 को जबार को कुल 50 भरे हुए सिलेण्डर दिए गए, जिसमें से जबार द्वारा टक्सी से सर्वप्रथम 26 सिलेण्डर लोहारपुरा में वितरित किये तथा 73 उपभोक्ताओ के बिल (रिफिल बाऊचर) दिए गए थे जिनका विवरण संलग्न अनुसूची 1 में दर्ज है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। नियमानुसार जो भी सिलेण्डर किसी गैस एजेन्सी से उपभोक्ताओं को वितरण हेतु ले जाये जाने पर उन सभी सिलेण्डरों का बिल, वाहन गेटपास वितरणकर्ता के पास अवश्य रूप से रहता है, परन्तु ऐसे कोई बिल, वाहन गेटपास अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है।

4(1)—अप्रार्थीगण की ओर से सूची दस्तावेज के साथ होम डिलीवरी के लिए गोदाम से प्रेषित किये जाने से पूर्व सिलेण्डरों की जॉच का रिकार्ड अनेक्चर–2 प्रस्तुत किया गया है। उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अनेक्चर–2 में वितरण करने वाले वाहन का प्रकार में बेलगाड़ी/महेन्द्रा 2261 अंकित किया गया है। डिलीवरी मैन का नाम जबार अंकित किया गया है। लादे गये सिलेण्डर की संख्या में 14.2 के.जी. के 50(26+24) अंकित किये गये है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में उक्त सिलेण्डर टेक्सी में ले जाना बताया, जबकि उक्त अनेक्चर–2 में वितरण करने वाले वाहन का प्रकार में बेलगाड़ी/महेन्द्र 2261 बताया गया है। इस प्रकार सिलेण्डर वितरण के संबंध में उपयोग में लिये गये साधन के संबंध में अप्रार्थीगण के जबाब एवं अनेक्चर–2 में वर्णित सूचना में पूर्णतया विरोधाभाष है।

4(2)—जहां तक वकील अप्रार्थी का कथन कि उन्हे प्रार्थी के गवाहान से जिरह का अवसर प्राप्त नही हुआ है, तो उक्त संबंध में अप्रार्थी को जिरह का अवसर प्राप्त नहीं होने मात्र के आधार पर प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही को सन्देहजनक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के संबंध में अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण करने के संबंध में कोई उपभोक्ताओं के बिल न तो दौराने जॉच प्रस्तुत किये है, और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये है, जो स्पष्ट रूप से साबित है। इसके अलावा गैस सिलेण्डर वितरण के साधन के संबंध में भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात में स्पष्ट विरोधाभाष है। इस प्रकार मैसर्स शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के प्रतिनिधि द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण दुरूपयोग करने की नियत से करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के खण्ड 3(1) (a) (b) (c), खण्ड 4(1) (a) (b) (c) (e) खण्ड, 6, खण्ड 7 (1)(a) (b) (c) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में सीज सुदा 24 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. मे समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 19.12.09 को श्री भेराराम डिडेल, जिला रसद अधिकारी मय श्री दौलाराम प्रवर्तन अधिकारी, परबतसर, श्री रामचन्द्र चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी, डीडवाना, श्री कवंराराम प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर, श्री विनयकुमार शर्मा द्वारा मै. शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मे आया कि गैस एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा वितरण केन्द्रों पर गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की जा रही है। श्री भैराराम डिडेल जिला रसद अधिकारी एवं श्री दौलाराम प्रवर्तन अधिकारी, परबतसर द्वारा मैसर्स शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के वितरण स्थल बड़ली के पास गहलोत किराणा स्टोर एवं सालासर फ्लोर मिल बड़ली के सामने स्थित खुली जगह पर सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री जब्बार पुत्र श्री अलाबक्ष के समक्ष किया गया। वक्त जांच मौके पर कुल 23 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत पेट्रोलियम कम्पनी के भरे हुए एवं एक खाली पाया गया। मौके पर फर्म प्रतिनिधि श्री जब्बार पुत्र अलाबक्ष के पास उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के बिल/बाउचर नहीं पाये गये। फर्म प्रतिनिधि से इस बारे में पूछताछ की गई तो इस बारे मे सही जवाब नहीं दिया। वक्त जांच मै. शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के वितरण स्थल बड़ली के पास गहलोत किराणा स्टोर एवं सालासर फ्लोर मिल बड़ली के सामने स्थित खुली जगह पर अवैध रूप से रखे हुए उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती/सुपुर्दगीनामा दिनांक 19.12.09 को रूबरू गवाहान जब्त कर श्री आनन्द अग्रवाल मैनेजर नागौर गैस सर्विस नागौर को सुपुर्दगी में दिये गये तथा उक्त फर्द जब्ती/सुपुर्दगीनामा पर गवाहान एवं सुपुर्दगी लेने वाले के हस्ताक्षर भी करवाये गये है। प्रकरण में बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नही करने पर आदेशिका दिनांक 17.12.20 को अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अपने जबाब व अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपने जबाब एवं बहस के दौरान उक्त जब्तशुदा 23 भरे हुए एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर के बिल, उक्त गैस सिलेण्डर लाने के संबंध में गेटपास आदि होने के संबंध में कोई

कलक्टर, नागौर

ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थीगण द्वारा टेक्सी खराब हो जाने से उक्त सिलेण्डर मौके पर उतारना बताया, परन्तु उक्त टेक्सी खराब होने एवं ठीक करवाने के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य यथा–ठीक करवाने का बाउचर अथवा ठीक करने वाले का शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा किया गया उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उक्त गैस सिलेण्डर वितरण के लिए लाने के संबंध में प्रयुक्त वाहन बाबत भी अप्रार्थीगण के जबाब एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार विरोधाभाष पाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बहस में किये गये कथन विश्वसीय प्रतीत होते है। इस प्रकार मैसर्स शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी, नागौर के प्रतिनिधि द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण दुरूपयोग करने की नियत से करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के खण्ड 3(1) (a) (b) (c), खण्ड 4(1) (a) (b) (c) (e) खण्ड, 6, खण्ड 7 (1)(a) (b) (c) की अवहेलना की हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस निर्णय के पैरा संख्या–2(2) अनुसार जब्तशुदा 23 भरे हुए मय गैस एवं एक खाली घरेलू गैस सिलेण्डर को सम्यहरण (Confiscate) करने का आदेश दिये जाते है एवं जिला रसद अधिकारी नागौर को उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है एवं निस्तारण की प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर